फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री देवीसिंह **विपक्षी :– श्री वाला**

किस्म मुकदमा – 53,188 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 65/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 17.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता श्री कमलेश जैन द्वारा प्रकरण सं. 50/20 प्रार्थना पत्र गोपाल बनाम वाला में स्थगन होने से उक्त डिक्री में आपत्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया जो रेकार्ड पर हैं। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति का खारिज कर पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता श्री कमलेश जैन द्वारा देवीसिंह के हिस्से पर कोई आपत्ति नहीं कर अन्तिम डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 1 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। चूंकि उक्त आराजीयात बाबत् अन्य वाद गोपाल बनाम वाला जो कि गोपाल द्वारा अपने पिता वाला की सम्पति में हक लेने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त वाद से देवीसिंह प्रभावित नहीं हैं एवं उभय पक्ष भी अन्तिम डिक्री किये जाने पर सहमत हैं। अतः उक्त आपत्ति का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/– अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा रेबारियों की ढाणी पटवार हल्का गुडली की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	देवीसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति मीणा सा. खेडिया जोल तह. टोडा भीम जिला करोली खातेदार	986	0.3561	बा.तृ.	1.19
		987	0.1538	बा.तृ.	0.51
		988	0.0567	बा.तृ.	0.19
		989	0.2657	बा.तृ.	1.00
		990	0.4432	बंजड	1.50
	योग	**किता 5**	**1.3050**	–	**4.39**
2	वाला पुत्र कमला जाति भील सा. देह खातेदार	989/1	0.0203	बा.तृ.	0.05
		990/1	0.4147	बंजड	1.36
	योग	**किता 2**	**0.4350**	–	**1.41**

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 65/22 (वाद) GCMS No. : 2022/159

उनवान

1. श्री देवीसिंह पिता धर्मसिंह मीणा निवासी खेडियाजोल तह. टोडाभीम जिला करौली।

................वादी

बनाम

1. श्री वाला पिता कमला भील निवासी गुडली घाटीवाला घर तालाब के पास तह. मावली।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.07.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा रेबारियों की ढाणी पटवार हल्का गुडली की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	देवीसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति मीणा सा. खेडिया जोल तह. टोडा भीम जिला करोली खातेदार	986	0.3561	बा.तृ.	1.19
		987	0.1538	बा.तृ.	0.51
		988	0.0567	बा.तृ.	0.19
		989	0.2657	बा.तृ.	1.00
		990	0.4432	बंजड	1.50
	योग	**किता 5**	**1.3050**	–	**4.39**
2	वाला पुत्र कमला जाति भील सा. देह खातेदार	989/1	0.0203	बा.तृ.	0.05
		990/1	0.4147	बंजड	1.36
	योग	**किता 2**	**0.4350**	–	**1.41**

नोट–उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 17.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested